Sir, we agree that this is not a matter of partisan politics, but rather a matter of concern over a point of principle. I think, the Government's prompt and firm response clearly shows our principled stand in this matter. Thank you.

STATUTORY RESOLUTION

Approving the Proclamation Issued by The President in Relation to the State of Goa

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. REGUPATHY): Sir, I rise to move:

> "That this House approves the Proclamation issued by the President on the 4th March, 2005, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Goa."

Article 356 provides that if the President is satisfied that the situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, the President may, by Proclamation, assume to himself the functions of the Government of the State, declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercised by the authority of the Parliament and to make such incidental stand consequential to provisions, as are required. The facts that led to the imposition of President's Rule in Goa are as follows:

The Goa Legislative Assembly had 40 Members. Mr. Parrikar was the Chief Minister, with a backing of 22 Members. Eighteen Members sat on the Opposition Benches. Four Members, backing the Chief Minister, resigned thus reducing the strength of the House from 40 to 36. The Chief Minister had 17 Members backing him with one of the supporters functioning as the Speaker of the House. The number of Members opposing him was 18. The Opposition Members approached the Governor and requested him to dismiss the Government of Shri Parrikar as he had lost the effective majority in the House. The Governor asked the Members to prove the veracity of their assertions on the floor of the House and directed the Chief Minister to uptime the Vote-of-Confidence at 2.30 P.M. on 2nd February, 2005. As per the Report of the Governor, at about 5 P.M. on the said day, the Speaker announced that the Mr. Rodrigues, a Member of the House had committed a misconduct and, therefore, was liable for action under the provisions of Rules 82, 89 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly and directed him to leave the House. Mr. Rodrigues pleaded that he had not done anything to deserve the expulsion and refused to leave the House. On

finding that the Member was not leaving the Hosue, the Speaker directed the Marshals and members of Watch and Ward of the House to throw the Member out of the House. When the Marshals and the members of the Watch and Ward were forcing the Member physically out of the House, other Members of the Opposition objected to the act of physical removal of the Member and intervened. When this was happening in the Hosue, the Speaker put the motion to the vote of the House and declared that the motion was carried by the votes of 18 Members and opposed by six Members. What had happened in the House was improper, illegal and unconstitutional.

Eighteen Opposition Members approached the Governor and pleaded that the Government of Mr. Parrikar manipulated the majority and could not prove it. So, it should be dismissed. Coming to the conclusion that what was brougth to his notice was correct, the Governor dismissed the Government. Then, he allowed Mr. Rane to be sworn in as the Chief Minister and asked him to prove his majority on the floor of the House within 30 days. This, as the Governor said, was done to protect and preserve the demoractic, system and the constitutional provisions. On 19th February, 2005, the Governor summoned the Assembly to enable Mr. Rane to seek the Vote-of-Confidence on the 28th of the same month. On 24th February, 2005, Mr. Digambar V. Kamath, a Member of the BJP, the party of Mr. Parrikar, tendered his resignation from the membership of the House. On 28th February, 2005, the day on which the Vote-of-Confidence was to be sought and just before it was to be done, the Speaker terminated the membership of Mr. Neri Rodrigues by allowing the petition for disqualification. Then, in the House, at 2.30 p.m., he announced that he had accepted the resignation of the Deputy Speaker, which was given to him; made a small speech and announced that he was also resigning from the Speakership and adjourned the House and resigned. Thus, Shri Rane was prevented from taking the Vote-of-Confidence. The resignation of Mr. Kamath of BJP and disqualification of Mr. Rodrigues, reduced the strength of the Government and the Opposition to 17 Members each. In exercise of the powers vested under Article 181 of the Constitution, the Governor administered the oath of Office to Mr. Saldanha on 28th February evening to perform the duties of the Speaker until the Speaker was chosen by the Assembly. The Assembly of Goa was convened on 4th March, 2005 at 2.30 p.m. for seeking the Vote of Confidence. The Speaker disqualified Shri Sardana of UGDP reducing the effective strength of the Legislature to 33, and, thereafter put the Motion of Confidence to vote.

There was equality of vote with sixteen in favour and sixteen against. Thereafter, the Speaker cast his vote for the Government of Shri Rane.

It was clear from this evidence that the State was going through a serious political instability. The disqualification of certain Members of both the parties by the Speaker was aimed at gaining political mileage, and, by manipulation. The mechanism adopted by both the coalitions created serious doubts whether any coalition of political parties would be able to provide a stable Government. In the uncertainty thus prevailing in the State, there was serious doubt whether the Aassembly would be in a position to pass the Budget for the next financial year, or, even take a Vote on Account. Had that been allowed to happen, there would have been serious financial and constitutional crisis.

The Union Cabinet, thereafter, in its meeting held on 4th March, 2005 considered the situation prevailing in Goa, and, decided to recommend to the President to issue a Proclamation under article 356 of the Constitution for imposition of the President's Rule in the State, and, keeping the State Legislature under suspended animation. On 4th March, 2005, the President was pleased to issue a Proclamation under article 356(1) of the Constitution imposing President's Rule in the State of Goa and keeping the Legislative Assembly of Goa under suspended animation.

With these words, Sir. I commend that the Proclamation issued on the 4th march, 2005 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Goa be approved.

A copy of the Proclamation, as stipulated under the Constitution, along with the consequential orders, is placed on the Table of the House. Thank you.

The question was proposed

MR. CHAIRMAN: Any Member desiring to speak may do so, after which the Minister will reply. Shri Pramod Mahajan.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): माननीय सभापति जी, मैं गोआ में राष्ट्रपति शासन की इस अधिसूचना का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साधारणत: जब धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, तब सामान्य रूप से विरोधी दल कभी उसे स्वीकार नहीं करता, किन्तु जब असाधारण परिस्थिति में धारा 356 का उपयोग होता है, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, एक जवाबदेही सरकार ने अगर राष्ट्रपति शासन लगाया है, तब उस का समर्थन करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आदमी दुरुस्त आता है तो भले ही वह देर से आया हो, इसके कारण उसके दुरुस्त आने पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती और इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि गोआ के सम्बन्ध में भले ही वे देर से आए, लेकिन दुरुस्त आये। मैं आशा करता हूं कि

भविष्य में भी वे गोआ के संबंध में दुरुस्त निर्णय ही लेंगे। किसी राजनैतिक दबाव के अन्तर्गत आकर गोआ की इस विधानसभा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बोम्मई के केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, कोई भी सरकार, किसी भी विधान सभा को सीधे बर्खास्त नहीं कर सकती, जब तक राष्ट्रपति शासन को दोनों सदनों की अनुमति नहीं मिलती। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते समय भी गृहमंत्री माननीय शिवराज पाटिल जी से जब पत्रकार वार्ता में प्रश्न पूछा गया था कि आप इसे निलम्बन क्यों कह रहे हैं, विसर्जित क्यों नहीं कर रहे हैं, तब भी उन्होंने बोम्मई के उच्चतम न्यायालय के फैसले का आधार देकर यह कहा था कि जहां तक केन्द्र सरकार की शक्ति है, जब तक दोनों सदन इसे मान्यता नहीं देते, तब तक हम इसे विसर्जित नही करते। कल लोक सभा ने इसे मान्यता दी है, आज जब सत्ता पक्ष प्रस्ताव लाया है और विपक्ष उसका समर्थन कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज इसे राज्य सभा की अनुमति हो जायेगी और राष्ट्रपति जी की तो खुद की अधिसूचना है और इसलिए उनकी अनुमति के बाद केन्द्र सरकार में वह शक्ति आ आयेगी, जिस शक्ति के अन्तर्गत वह इस विधान सभा को विसर्जित करके फिर से फैसला गोवा की जनता के हाथ में दे सकते हैं। लेकिन यह भविष्य की अपेक्षा व्यक्त करते समय मुझे कुछ भूतकाल के मुद्दे इस चर्चा में उठाने आवश्यक लगते हैं। गृह राज्य मंत्री जी का बयान मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, ...(**व्यवधान**)...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रायल में राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी: पढ़ा नहीं सुना।

श्री प्रमोद महाजन: आज यहां सुना और वहां का बयान पढ़ा। ...(**व्यवधान**)... बयान एक ही है। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे सुना कहना चाहिए था, लेकिन आजकल पढ़ने की आदत हो रही है इसलिए शायद कम सुन रहा हूं। गृह मंत्री जी के बयान में ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: प्रमोद जी, थोड़ा तो प्रमोद चलना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: हां, चलना चाहिए। कुछ कमजोर कड़ियां हैं, जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ कमजोर कड़ियां हैं, कुछ अनकही बातें है इसलिए मैं गृह मंत्री जी को या गृह मंत्रालय को तो दोष दे नहीं सकता, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जो रपट भजेंगे, उसके आधार पर ही वहां की स्थिति का वह आकलन करेंगे। मैं उनको दोष नहीं देता हूं, लेकिन इसकी कुछ कमजोर कड़ियां, कुछ अनकही बातें सदन के सामने लाना चाहता हूं। पहला मुद्दा गृह राज्य मंत्री के बयान में था कि मुख्य मंत्री श्री मनोहर परिकर के चार समर्थक विधायकों ने त्याग-पत्र दे दिया, यह तो सत्य है। इसलिए यह कमजोर कड़ी तो है नहीं, लेकिन अनकही कड़ी क्या है, अचानक चार विधायकों ने त्याग-पत्र क्या दिया, ऐसा कौन-सा विचारों का संघर्ष वहां शुरू हुआ, जिसमें त्याग-पत्र देना पड़ा। अगर इसको आप देखें, तो वहां के एक सम्माननीय मंत्री श्री मानसोरेट का विभाग बदला गया और 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के चार सदस्य मानसोरेट ने 12.30 बजे त्याग-पत्र दिया, फर्नांडिस ने 12.30 बजे त्याग-पत्र दिया, फ्रांसिको

पाशोका ने ढाई बजे त्याग-पत्र दिया, पांडुरंग मढ़तैकर ने चार बजे त्याग-पत्र दिया, दो निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने उसी दिन समर्थन वापस लिया। अब कभी-कभी मैं सोचता हूं कि अच्छी चलती सरकार में जो छह लोग समर्थन कर रहे थे, वह उस दिन गोवा में किस बोध वृक्ष के नीचे बैठ गये कि उनको अचानक ज्ञान हुआ कि अपना सरकार से कोई संबंध नहीं है और हमको फटाफट कतार में खड़े होकर त्याग-पत्र देना चाहिए। अब यह जो अनकही बात आई कहां से, और अगर आप अनकही बात को ढूंढ़ने जाओ, तो आपको आगे पता चलेगा कि जब श्री प्रताप सिंह राणे की नई मंत्रिपरिषद बनी, तो उसमें कांग्रेस के कम और पूर्व भाजपा के ज्यादा विधायक मंत्री बने और उनमें से कुछ तो ऐसे थे, जो मंत्री परिषद के सदस्य थे ही नहीं। अब यह सरकार जब बनती है, मतलब मुख्य मंत्री कांग्रेस का हो और सारे मंत्री पूर्व पारिकर सरकार के हों, साधारणतः ऐसी सरकार तो कोई भी नहीं बनाना चाहेगा ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) यह बात तो झारखंड में भी लागू होती है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद महाजन: माफ करना। आप बोलिये।

श्री आनन्द शर्मा: आपने जिक्र किया है, मैं तो चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं। वहां आपके लोग गये, उसका आपको थोड़ा-सा अन्तरध्यान करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। उन्होंने क्या घुटन महसूस की जिसकी वजह से आपके लोग गये? ...(व्यवधान)... दूसरी बात।

श्री सभापति: आप छोड़िये, छोड़िये।

श्री आनन्द शर्मा: दूसरी बात, जहां तक मूल्यों और सिद्धांत की बात है। तो झारखंड में, जिसके लिए आपने बड़ा शोर किया, वहां पर जो पांच विधायक हैं, उन्हें किस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति हुई और आपने किस तरह से वहां पर उनको मंत्री बनाया? इसी प्रकार अरुणाचल में आपके पास एक विधायक ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। अब छोड़िए उसे।

श्री आनन्द शर्मा: आपने वहां बीजेपी की सरकार बनाई। थोड़ा इस पर भी चिंतन कीजिए।

श्री सभापति: आनन्द जी, आप बैठिए। प्रमोद जी, आप गोआ तक ही सीमित रहिए, किसी बोद्ध वृक्ष के नीचे मत जाइए।

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, यह तो मेरे ऊपर अन्याय हो गया कि देखते-देखते पश्चिम की गोआ से अतिपूर्व की, पूर्व की अरुणाचल तक आनन्द जी चले गए और मुझ पर आपने पाबंदी लगाई कि मैं गोआ पर सीमित रहूं, यह तो मेरे ऊपर अन्याय हुआ लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिन पांच निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में समर्थन दिया है, उन्होंने आपको कभी भी समर्थन नहीं दिया था, उनका कोई पत्र आपके

पास नहीं था और इसलिए आपकी यह तुलना बिल्कुल गलत है। अब चूंकि सभापति जी ने कहा है इसलिए इसकी चर्चा किसी और स्तर पर करते हैं। सभापति महोदय, ये सब के सब मंत्री बन गए। अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करे तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी धर्म में जन्म लेता है और उसे ज्ञान हो जाता है कि यह धर्म ठीक नहीं है, मैं किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता हूं, उसे तो इसकी अनुमति होनी चाहिए क्योंकि धर्म व्यक्ति तय कर सकता है लेकिन प्रलोभन या दबाव में अगर धर्मांतरण करे तो वह आंतरिक धर्मांतरण नहीं होता, जो मुझे गोआ में दिखाई देता है। आपकी दूसरी अनकही बात, आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि राज्यपाल जी ने मुख्य मंत्री को दो फरवरी को ढाई बजे बहुमत सिद्ध करने को कहा। कब कहा? यह आपने छोड़ दिया है क्योंकि शायद आपके पास इसकी जानकारी नहीं है इसलिए थोड़ी जानकारी मैं दे दूं। 29 जनवरी को जब से सारी घटनाएं हुईं, तब रात को महामहिम राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर परिकर को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि आप अल्पमत में हैं। यह नहीं कहा कि आप अल्पमत में हैं इसलिए विधान सभा में जाकर बहुमत सिद्ध करिए- कुछ नहीं कहा। केवल इतना कहा कि आप अल्पमत में हैं क्योंकि 18 लोग मुझे मिले हैं, इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि 36 के सदन में जब 18 लोग मुझे मिले हैं तो आप अल्पमत में हैं। 30 जनवरी को कुछ नहीं हुआ। पत्रकार वार्ता में तो कहा गया कि परिकर सरकार अल्पमत में है। 31 जनवरी को परिकर सरकार की खुद की मंत्रिपरिषद् ने यह तय किया, राज्यपाल ने कुछ सुझाव नहीं दिया, खुद की मंत्रिपरिषद् ने यह तय किया कि तीन फरवरी को ढाई बजे सदन मिलेगा और उसमें हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि 31 तारीख को भी महामहिम राज्यपाल से कोई सूचना नहीं आयी। 1 फरवरी को तीन बजे महामहिम ने कहा कि 3 फरवरी नहीं, 2 फरवरी को ढाई बजे आप बहुमत सिद्ध करिए- साढ़े तेईस घंटों में। अगर 2 फरवरी को ही कहना था तो वे 29 जनवरी को भी कह सकते थे। गोआ छोटा प्रांत है, एक दिन में भी लोग इकट्ठा होते हैं ...(**व्यवधान**)...आप मुझे बोलने दीजिए। आपका जब नाम आए तो आप बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-बहुत लेन-देन तो चलता है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इंटरप्शंस हो तो फिर कठिनाई होगी।

श्री सभापति: यह लेन-देन मेरे सामने नहीं चलेगा।

श्री प्रमोद महाजन: सर, वैसे भी आसन को अपनी आंखें बंद ही रखनी चाहिएं। आप आश्चर्य करेंगे कि परिकर सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए साढ़े तेईस घंटे दिए गए और वहां जब राणे सरकार बनी, तब उनको 30 दिन दिए। गोआ प्रदेश डेढ़ सौ किलोमीटर लम्बा-चौड़ा है। गोआ में किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दक्षिण से उत्तर तक जाने के लिए अच्छी सड़कें होने के कारण चार-पांच घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। उन्हें तीस दिन दिए गए कि आप बहुमत सिद्ध करो। सभापति महोदय, परिकर को साढ़े तेईस घंटे और राणे जी को तीस दिन, यानी 720 घंटे... अब यह तो वही हुआ, जो बकनौर ने कल तेंदुलकर के साथ किया- ऐसा तो अंपायर को नहीं करना चाहिए। अंपायर को तो कैच आउट हो, तो आउट देना चाहिए, नहीं हो, तो नहीं देना चाहिए, लेकिन

कम से कम उस अंपायर का भला हो,जिसने बाद में कहा कि मुझसे गलती हो गई। उसने कहा कि मुझसे गलती हुई, लेकिन यहां अंपायर कहने को तैयार नहीं है। अब यह बात वैसे तो बहुत छोटी है, लेकिन अपने आप में तीस दिन देना, जिस मानसिकता का परिचायक है, वह मानसिकता पिछले चार-पांच साल में गोवा की सरकार में जो स्थिरता आई थी, उसको अस्थिरता की ओर ले जाने का एक षडयंत्र है। इसलिए एक ही दिन में, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी फिल्म थी-''वन फाइन डे''- एक ही दिन में ये सारी घटनाएं हो गईं और जितने सदस्यों ने विधान सभा में त्यागपत्र दे दिया, मुख्य मंत्री का पद छोड़कर, मंत्री से उप मंत्री तक, सारे मंत्री-पद उनको मिले, जबकि वे सदस्य भी नहीं थे। अब तो आप सदस्य भी नहीं रहे और मंत्री भी नहीं रहे। नई मंत्रिपरिषद् अगर बनती है, तो अगर यह प्रलोभन नहीं है, आकर्षण नहीं है, यह तो वैचारिक मत परिवर्तन है, तो भला हो इस मत परिवर्तन का।

दूसरी बात, आपके निवेदन में लिखी है। आपने कहा कि 18 विरोधी दलों के सदस्य महामहिम राज्यपाल को मिले और राज्यपाल ने उनको कहा कि सरकार बर्खास्त कर दो। गृह राज्य मंत्री मुझे क्षमा करें, राज्यपाल की जो रिपोर्ट आपके पास आई है, शायद उस जानकारी में थोड़ा सा अंतर है। 18 विरोधी दलों के सदस्य सदन समाप्त होने के बाद इकट्ठा होकर राज्यपाल से राजभवन में मिले। इतना समय तो खुद राज्यपाल नहीं कहते कि मैंने दिया था। महामहिम राज्यपाल जी ने ''इंडियन एक्सप्रेस'' को जो साक्षात्कार दिया है, उसमें वे कहते हैं कि 5 बजकर 24 मिनट पर सदन ऐडजॉर्न हुआ और 5 बजकर 50 मिनट पर मैंने सरकार बर्खास्त की। अब 26 मिनट में सरकार कैसे बर्खास्त होती है, उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन जो किया भला किया। इन 26 मिनटों में 18 सदस्य सदन से निकल गए, राज्यपाल से मिल लिए, उनको अपाइंटमेंट भी मिल गया, फिर वे गाड़ियों में बैठे, वहां पहुंचे, चार-पांच किलोमीटर का अंतर है, और सारे मिले। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने सारी जानकारी दी। फिर उन्होंने कहा कि यह तो बहुत गलत हुआ, यह तो बर्खास्त होना चाहिए। फिर सेक्रेटरी को बुलाया, उसको टाइप करने के लिए लगाया, फिर वह सारा सील किया, पैक किया और वह मुख्य मंत्री तक पच्चीस मिनट में पहुंचा है। मुझे लगता है कि ऐसी क्षमता ओलंपिक में हम सबकी 100 मीटर में गोल्ड मेडल लेने की हो सकती है। आपने दोनों विधान सभाओं के अध्यक्षों को दोष दिया, इसके विवाद में मैं नहीं जाता। कम से कम यहां दिल्ली में बैठा हुआ जो थर्ड अंपायर है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिक ताकत उपलब्ध है, इसलिए उसने दोनों को बराबर न्याय दिया, लेकिन मुझे लगता है कि विधान सभा में क्या हो रहा है, उससे सहमत या असहमत होना, महामहिम राज्यपाल का अपना अधिकार है। उस अधिकार को मैं चुनौती नहीं देता, लेकिन अगर उन्होंनें परिकर सरकार से कहा था और अगर स्पीकर से कहा था कि सदन में बहुमत हुआ या नहीं, मुझे बताइए और अगर वे घंटा-डेढ़ घंटा रुक जाते, विधान सभा के अध्यक्ष की रिपोर्ट उनको मिल जाती, अगर उस रिपोर्ट पर उनको आपत्ति होती तो विधान सभा के अध्यक्ष को वे बुलाते, अपनी आपत्तियां बताते, घंटा-दो घंटा विचार-विमर्श करते और उसके बाद यदि वे इस निष्कर्ष पर आते कि विधान सभा के अध्यक्ष ने जो किया वह गलत है, अगर ऐसा निर्णय लेते, तो

कम से कम जैसा अभी आपने नरेन्द्र मोदी के संबंध में कहा कि अमेरिकी सरकार को ऐसे बिना पूछे किसी पर तुरंत बर्खास्तगी नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही मैं समझता हूं कि गोवा में भी महामहिम राज्यपाल को मुख्य मंत्री को, स्पीकर को बुलाना चाहिए था, रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, रिपोर्ट से असहमत होते, घंटा-दो घंटा देर हो जाती। अब राष्ट्रपति शासन लाना माना तय ही था, तो कम से कम दिखावे के लिए तो सही, कम से कम भाषण में मेरा एक मुद्दा तो कम हो जाता कि इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए निर्णय तो आप ले सकते हो। अब महामहिम राज्यपाल की रिपोर्ट को लें तो महामहिम राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में कहते हैं, गृह राज्य मंत्री जी मैं आपके भाषण को उद्धृत कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप यह कहते हैं कि जिस दिन प्रताप सिंह राणे को बुलाया, उस दिन प्रताप सिंह राणे के पास 18 विधायक थे और मनोहर पर्रिकर के पास भी स्पीकर समेत 18 विधायक थे। महामहिम राज्यपाल को इसकी जानकारी थी कि दोनों के पास 18 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में अगर महामहिम राज्यपाल उस निष्कर्ष पर आते हैं, जिस निष्कर्ष पर महामहिम राष्ट्रपति आए, आंकड़ा सिर्फ एक-एक से कम हुआ, अठारह-अठारह की जगह, सत्रह-सत्रह हुआ, अगर वे आते और खुद विधान सभा को भंग करते या राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा करते तो कानून के अनुसार होता। जब राज्यपाल जी अपनी खुद की रिपोर्ट में यह कह रहे हैं कि छत्तीस के सदन में, प्रताप सिंह राणे के पास अठारह थे और स्पीकर समेत मनोहर पर्रिकर के पास अठारह थे, तो जब अठारह-अठारह पर टॉय हुआ था तो मनोहर जी की बर्खास्तगी और प्रताप सिंह जी का मुख्यमंत्री बनना, यह किस कानून के अतर्गत आ सकता है? अगर वे नाम के लिए भी 19 बताते, गलत भी बताते कि हमारे पास है, जैसे यू.पी.ए. ने झारखंड में दावा किया था कि हमारे पास हैं ...(**व्यवधान**)... सॉरी, मैं वापस आता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं। झारखंड के बारे में आपका दुख तो इनसे ज्यादा है, मैं जानता हूं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री तारीक अनवर (महाराष्ट्र): जो काम आप कह रहे हैं, वही काम आपने वहां किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन: सर, अगर बात निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। ...(**व्यवधान**)... आपके नेता के साथ मैंने दो बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा था, इसलिए बात बहुत दूर तक चली जाएगी, इसलिए मैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्रमोद जी, अभी झारखंड के मामले में न फंसें।

श्री प्रमोद महाजन: मुझे यह लगता है कि राज्यपाल जी जब खुद जानते थे, जब खुद आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि अठारह-अठारह लोग थे तो उनमें से किसी एक की भी सरकार रखना भी गलत था तो दूसरे को बुलाना भी गलत था और उसी समय वह फैसला करते, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया । केवल इतना ही नहीं किया जो उन्होंने कहा के तीस दिन, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये तीस दिन उन्होंने कब दिए, पहले दिन नहीं दिए। राज्यपाल महोदय ने जो निमंत्रण का पत्र, प्रताप सिंह

राणे को दिया है, जिसमें साधारण रूप से तीस दिन दिए, क्योंकि सरकारिया कमीशन की कुछ तो सिफारिशें हमको माननी चाहिएं, उसमें तीन दिन कहा गया है तो एक मान लेते हैं, बाकी का जो हो जाए, हो जाए, इसको मान लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको तीस दिन कहेंगे। वे कब दिए, उस दिन नहीं दिए। जब दिए, जब चार-पांच दिन के बाद बावेला मचा कि कब हो रहा है, सदन? इसके लिए कितने दिन दिए हैं? इनको तो तेईस घंटे दिए, इनको दिन कितने दिए हैं, तब कहीं कहा गया। सदन कब बुलाया गया? सदन बुलाया गया 28 फरवरी को। देखिए, दो फरवरी को सरकार बनी, 26 दिन के बाद सदन बुलाती है। यह बहुत ही संयोग है कि 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक का त्यापत्र होता है। यह मात्र संयोग है कि सदन का बुलाना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के त्यागपत्र के बाद, जब यह अठारह-अठारह का सत्रह-सत्रह हो गया, तब सदन बुला लिया। अब इतिहास दोहराने से तो कोई फायदा नहीं है, जैसा इन्होंने केन्द्र सरकार का अभिनंदन किया है कि देर आयद तो दुरुस्त आयद। इसका समर्थन करते हुए, मैं इससे दो-तीन जुड़े मुद्दे बहस के लिए उठाना चाहूंगा। महोदय, हम सब जानते हैं और हम सब इसके भुक्तभोगी हैं। इससे कोई भी दल अछूता नहीं है कि दल-बदल हिन्दुस्तान की राजनीति को सबसे बड़ा कर्क रोग है और हम सब उसके रंग में रंगें हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): सब नहीं हैं।

श्री प्रमोद महाजन: कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): देर आए, दुरुस्त आए।

श्री प्रमोद महाजन: आप इतनी दूर बंगाल में रहते हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा जानता नहीं हूं। सारे देश में होते तो थोड़ी जानकारी हो जाती है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप जानते नहीं हैं, इसलिए हम बचे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: अभी मुझे थोड़ी जानकारी लेनी है। अभी आपका कांग्रेस से हो रहा है, जब सारे देश में जाओगे तब मेरी आपके बारे में जानकारी बढ़ जाएगी। सभापति जी, मैं जानता हूं कि दुनिया में कोई भी कानून अच्छे काम के लिए प्रवृत्त नहीं करता, वह बुरे काम को रोकने का काम कर सकता है। इस दल-बदल के लिए दुनिया का कोई कानून शत-प्रतिशत नहीं होगा। इसलिए कभी-कभी मैं सोचता हूं कि अगर जनता दल बदलने के बाद भी लोगों को चुनकर देती रहेगी तो दल-बदलना शायद प्रलोभन में संभव होगा। अब जनता की जिम्मेदारी बताना अपनी जिम्मेदारी से दूर हटना है। मुझे लगता है कि कभी-कभी राजनैतिक दलों में, जिसमें मैं अपने दल को अलग नहीं कर रहा हूं या किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा हूं, शायद वह संगठनात्मक और वैचारिक पकड़ नहीं बची है, जिस संगठनात्मक और वैचारिक पकड़ के कारण सत्ता की छांव में हों या विपक्ष की धूप में हों, आदमी जीवन भर उसी पार्टी में रहेगा। संघटनात्मक दृष्टि से भी इस प्रकार की कमजोरी आई है, शायद वैचारिक मतभेद भी लगभग समाप्त से होते जा रहे हैं। एक घर से दूसरे

12. Noon

घर जाना, मानो कोई बहुत अंतर नहीं है, इस प्रकार का अनुभव आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है, कम से कम जो सबक मैं सीख सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, कभी-कभी हम सभी लोग, हर किसी की प्लास्टिक सर्जरी मान रहे हैं। कल तक जो कम्युनल था, वह पार्टी छोड़ दे और कह दे कि मैं सेक्युलर हो गया, तो हम कहते हैं कि चलो इसने प्लास्टिक सर्जरी कर ली है, कल तक इसका चेहरा घिनौना, संप्रदायवादी था, अब यह उदारमतवादी हो गया है, हम इसका स्वागत करते हैं। यह उलटा हो गया है...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Will it not apply to the major political parties? *(Interruptions)*. Will it not apply to the major political parties? (*Interruptions).* To save the Government you went here and there. (*Interruptions*).

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Might be, my Hindi is poor and my English is poorer. So I cannot translate the whole thing into English. I said, "All political parties". I started with my party. All political parties include your party also. We were together and then we got separated. We have married and divorced so many times. Why are you keeping yourself above all? Don't keep yourself above all. सभापति जी, जनता-राजनैतिक दल के साथ, इसका हमने कानून में एक प्रयास किया है। अब दल-बदल के कानून की सारी बहस यहां समय के अभाव में आवश्यक नहीं है और जरुरी भी नही है। अगर एक वाक्य में हमें कहना है तो हम यह कह सकते हैं कि दल-बदल पहले तो कानून था ही नहीं, वैसे तो आदर्श स्थिति में कानून होना ही नहीं चाहिए, लोगों को दल बदलने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर दल बदले तो उसे घर भेज देना चाहिए। यह आदर्श स्थिति होनी चाहिए, लेकिन आदर्श स्थिति से तो सारा समाज नहीं चलता, स्वाभाविक रूप से कानून बनते हैं। ऐसे कानूनों में हमने यह कानून बनाया कि अगर एक तिहाई लोग चले जाएं, तो वह दल-बदल नहीं है, वह पार्टी में फूट है। प्रैस वालों ने हमारे बारे में कहा कि अगर थोक में चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चिल्लर में एक-एक जाएं तो वह अलाउड नहीं है, एकदम एक तिहाई बनकर जाओ। यह एक तिहाई बड़ी पार्टियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां पार्टी ही दो या तीन आदमी की है, तीन आदमी की पार्टी में हर आदमी वन थर्ड है। कानून के अनुसार हर आदमी वन-थर्ड है, और अगर वह अकेला है तो उसका तो हस्ताक्षर करने वाला हाथ ही वन-थर्ड है, उतना ही काफी है, उसके लिए और शरीर की तो आवश्यकता ही नहीं है। छोटे राज्यों, जैसे गोवा या पूर्वांचल के राज्यों की हम बार-बार सरकारें बदलने की चर्चा कर रहे थे, ये जो छोटे राज्य हैं, इनमें पहले तो सदस्य संख्या छोटी होती है, इनमें दल छोटे होते हैं और इसका लाभ भी सभी पार्टियाँ उठाती हैं इससे हम अपने आपको दोषमुक्त नहीं मानते। इसलिए हम सबने मिलकर एक अगला कदम, कानून बनाया कि

एक आदमी भी पार्टी छोड़ेगा तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो हमें लगा कि चलो, कम-से-कम इस रोग से तो देश को मुक्ति मिली। अब गोवा में एक नया तरीका ढूँढ़ा गया है। मुझे इस बात का अत्यानंद है कि प्रधानमंत्री जी यहां हैं और अगर हम अभी से इस गोवा पैटर्न को नहीं रोकें, तो यह पैटर्न भी देश भर में दल-बदल का तीसरा पैटर्न बन सकता है, जिसमें त्यागपत्र दो, उसी चुनाव क्षेत्र से दूसरी पार्टी के दल पर खड़े हो जाओ और खड़े होने के पहले ही मंत्री बन जाओ। अब सारे सुझाव तो मैं आज नहीं दूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्या मंत्री बनाने पर साल भर के लिए, दो साल के लिए पाबंदी लग सकती है? क्या एक आदमी उसी चुनाव क्षेत्र से चुन कर आएगा, त्यागपत्र देगा, चुन कर आएगा, त्यागपत्र देगा, चुन कर आएगा, त्यागपत्र देगा-ऐसा खेल अगर वह खेल रहा है तो क्या ऐसे बाई-इलेक्शंस होने चाहिए? हमें इस पर सोचना चाहिए। जैसा मैंनें कहा कि छोटे दल और खास कर छोटे राज्यों की स्थिरता के लिए इस पर सोचना आवश्यक है।

सभापति जी, इसमें राज्यपाल पद की संस्था पर, मैं किसी एक राज्यपाल का नाम नहीं ले रहा हूं, राज्यपाल पद की संस्था पर भी एक राष्ट्रीय बहस होनी इस समय आवश्यक हैं। धारा 356 समाप्त हो जाए, यह अतिवादी भूमिका होगी। क्योंकि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, जैसे आज हम गोवा में देख रहे हैं, जैसे आज हम बिहार में देख रहे हैं, धारा 356 की आवश्यकता हो सकती हैं उसी प्रकार राज्यपाल के पद को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, यह भी अतिवादी भूमिका होगी। क्योंकि राज्यपाल के भी बहुत दायित्व हैं - मुख्यमंत्रियों का चयन करना, बर्खास्तगी करना, बहुमत का निर्धारण करना, विधानसभा की बर्खास्तगी करना, राष्ट्रपति को अनुशंसा करना, विधेयक साईन करना, राष्ट्रपति को रिकॉमंड करना, ढेर सारे ऐसे काम हैं जो राज्यपाल नाम की संस्था को करने पड़ते हैं। अगर हम समझते हैं कि इसे हम निकाल दें और किसी हाई कोर्ट के जज को कहें कि शपथ ही दिलाना है तो कोर्ट बंद करके घंटा भर दे दें, तो यह इतना छोटा काम नहीं है। वह केन्द्र और राज्य के बीच में एक द्वार के रुप में काम करता है और अगर राज्यपाल के पद को खत्म करना है तो मुझे लगता है कि हमें अपने संविधान का फिर बेसिक स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ेगा, हर चीज को बहुत-ही नए सिरे से सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्यपाल पद की संस्था का हम सबने दुरुपयोग किया है, मै किसी का नाम यहां नहीं ले सकता, क्योंकि यह पद की गरिमा से जुड़ा है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता हूं।

†श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): दो दलों ने ही किया है, दो दलों ने ही किया है।

شری شاہد صدیقی : دو دلوں نے ہی کیا ہے، دو دلوں نے ہی کیا ہے۔

श्री प्रमोद महाजन: सर, जिसका बनता ही नहीं, वह क्या करेगा, जब बनेगा तो देखा जाएगा।

श्री शाहिद सिद्दिकी: आप ही का बनेगा।

شری شاہد صدیقی : آپ ہی کا بنے گا۔ !

†Transliteration of Urdu Script.